राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

पौष 16, शुक्रवार, शाके 1944- जनवरी 06, 2023
Pausa 16 Fridya, Saka 1944- January 06, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

जयपुर, जनवरी 6, 2023

संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/ 2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/ 2019/पार्ट-1/810 दिनांक 07.07.2022 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 30 जून, 2022 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2022 कर दी गई थी।

महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र एफ. नं. 9/33/2019-सीडी(सी.ई.एन.) दिनांक 2 जनवरी, 2023 के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों स्थिरीकरण की समय सीमा पुन: 31 दिसम्बर, 2022 से बढाकर 30 जून, 2023 की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
भवानी सिंह देथा,
प्रमुख शासन सचिव ।

3581

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।